मेसर्स रायगढ़ इनर्जी लिमिटेड (नया नाम–मेसर्स जायसवाल निको ऊर्जा लिमिटेड) द्वारा ग्राम–जोबरो एवं हमीरपुर, ब्लॉक तमनार, जिला रायगढ़ (छ.ग.) में प्रस्तावित थर्मल पॉवर प्लांट– 2x300 मेगावाट के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई <u>दिनांक 23.09.2011 का कार्यवाही विवरणः–</u>

मेसर्स रायगढ़ इनर्जी लिमिटेड (नया नाम मेसर्स जायसवाल निको ऊर्जा लिमिटेड) द्वारा ग्राम–जोबरो एवं हमीरपुर, ब्लॉक तमनार, जिला रायगढ़ (छ.ग.) में प्रस्तावित थर्मल पॉवर प्लांट– 2X300 मेगावाट के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 23.09.2011 स्थान–प्रस्तावित परियोजना स्थल, (शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय के समीप) ग्राम–हमीरपुर, विकासखण्ड–तमनार, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायगढ़, की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रातः 11.00 बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारंभ की गई। लोक सुनवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ तथा क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल रायगढ उपस्थित थे। लोक सुनवाई में आसपास के ग्रामवासी तथा रायगढ़ के नागरिकों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं ने भाग लिया। सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.06 के प्रावधानो की जानकारी दी गयी।

लोक सुनवाई में लगभग 850 लोगो का जन समुदाय एकत्रित हुआ। उपस्थिति पत्रक पर 32 लोगों ने हस्ताक्षर किये। मौखिक वक्तव्यों को लिपिबद्ध किया गया।

लोक सुनवाई उद्योग प्रतिनिधि के द्वारा परियोजना के प्रस्तुतीकरण से प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम उद्योग की ओर से कंपनी प्रतिनिधि श्री एस.के. मोहित्रा, अध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित परियोजना के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोल मिडलिंग्स का पूर्ण उपयोग इस पावर प्लांट में किया जायेगा, सरकार द्वारा तय की गई दर के आधार पर जमीन अधिग्रहण किया जायेगा एवं मुआवजा भी सरकार के अनुसार निर्धारित दर पर दी जायेगी, जिनकी जमीन जा रही है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दी जायेगी। स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे स्तर का अस्पताल खोला जायेगा एवं निःशुल्क दवाई की व्यवस्था की जायेगी। गांव के चुने हुए शिक्षित लोगों को हर वर्ष गांव के 10–15 लोगों को तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था रायगढ़ में की जायेगी। कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित सी.एस.आर. एक्टीविटीज को कंपनी पूर्ण करेगी। कंपनी द्वारा 1 करोड़ तक के कार्य तत्काल करने के लिए तैयार है। गांव के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों का पुर्नउत्थान किया जायेगा। प्रस्तावित उद्योग के पर्यावरणीय सलाहकार डॉ. जे.के. मोहित्रा ने बताया कि राखड़ बांध हेतु 180 एकड़ जमीन चिन्हित किया है। 01 चिमनी की ऊंचाई 220 मीटर की होगी। जल हेतु अनुमति छ0ग0 शासन से लिया जायेगा। ग्राम बुढ़िया और काटाझरिया के पास केलो नदी में एनीकट बनाया जायेगा। हमारे कोल वॉशरी से उत्पन्न कोल मिडलिंग्स का उपयोग कर हम नेशनल रिसोर्स में मदद कर रहे हैं। यहां के 50 प्रतिशत जमीन पर हरियाली है एवं 10 कि.मी. की परिधि में कोई भी उद्योग नहीं है। यहां की परिवेशीय वायु गुणत्ता बहुत अच्छी है। यहां की भूजल गुणवत्ता बहुत अच्छी है। यहॉ की भूमि कृषि योग्य है। ध्वनि तीव्रता मानक स्तर से काफी कम है। नेशनल पार्क, फॉरेस्ट रिजर्व एवं एलीफेंट कॉरीडोर 10 कि.मी. की परिधि में नहीं है। कभी–कभी हाथी भटक कर इस क्षेत्र में आ जाते हैं। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु 220 मीटर की चिमनी बनाई जायेगी। डस्ट को कम करने के लिए उच्च इफीसिऐंसी का ई.एस.पी. लगायेंगे। उच्च स्तरीय कूलिंग टॉवर एवं कंडीशनिंग सिस्टम लगाया जायेगा। प्लांट से निकलने वाले समस्त जल को सेंट्रल मॉनिटरिंग बेसिन में इकट्ठा

कर इसका अलग–अलग मद में उपयेाग करेंगे। समस्त उपचारित जल का पुनर्उपयेाग करेंगे एवं शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जायेगी। प्लांट परिसर के बाहर पानी का निस्सारण नहीं किया जायेगा। 33 प्रतिशत भूमि में ग्रीन बेल्ट डेवलप करेंगे। सीवरेज सिस्टम के पानी का उपयोग सिंचाई कार्यों में किया जायेगा। माईंस से मिडलिंग्स आयेगा और उद्योग का राखड़ माईंस में ले जाकर भू–भरण में उपयोग किया जायेगा। राख का उपयोग 4 वर्षों में 100 प्रतिशत राख का उपयोग किया जायेगा। इस परियोजना में मेन पावर 500 लोगों की आवश्यकता होगी। भारत सरकार के अनुसार जोखिम निर्धारण की व्यवस्था की जायेगी। कंस्ट्रक्शन वर्क 40 महिनों तक चलेगा जिसमें 1000 लोगों की आवश्यकता होगी। स्थानीय लोगों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जायेगा एवं उन्हें रोजगार का अवसर दिया जायेगा। पर्यावरण मॉनिटरिंग लेब्रोरेटरी बनेगी। जल, वायु एंव मिट्टी का नियमित परीक्षण होता रहेगा।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा उद्योग प्रतिनिधि को जन सुनवाई के दरम्यान उठायी गई आपत्तियों, टीकाटिप्पणी को नोट करने तथा उन्हें कार्यवाही के अंत में बिन्दुवार स्पष्ट जानकारी देने का निर्देश दिया गया। इसके उपरांत उपस्थित जन समुदाय से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणी आमंत्रित की गयी, जिस पर निम्नानुसार 309 व्यक्तियों ने अपने विचार व्यक्त किये –

सर्वश्री –

1. श्री जितेन्द्र नगण, जनपद पंचायत सदस्य, हमीरपुर– मैं उद्योग का समर्थन करता हूॅं। कलेक्टर साहब के साथ ग्रामसभा में सारी बातें हो चुकी है।
2. श्री विश्वनाथ प्रधान, ग्राम–हमीरपुर– मैं उद्योग का समर्थन करता हूॅं। मेरा यह अनुरोध है कि पर्यावरण सुरक्षित करें।
3. श्री शिवलाल बारीक, हमीरपुर – मैं उद्योग का समर्थन करता हूॅं।
4. श्री आशीष कुमार मिश्रा, ग्राम–हमीरपुर – मैं उद्योग का समर्थन करता हूॅं। मैं उद्योग से निवेदन करता हूं कि ग्रामवासियों के लिए जो प्रस्ताव रखा गया है उस प्रस्ताव पर अमल करें।
5. श्री दिनेश प्रधान, ग्राम–हमीरपुर – मैं उद्योग का समर्थन करता हूॅं। मेरा निवेदन है कि बेरोजगारों की जितनी संख्या है उन्हें रोजगार का अवसर प्रदान करें।
6. श्री देवव्रत प्रधान, ग्राम–हमीरपुर – मैं उद्योग का समर्थन करता हूॅं।
7. श्री दुखनाथन भोई, ग्राम–हमीरपुर – मैं उद्योग का समर्थन करता हूॅं।
8. श्री जयराम बारीक, ग्राम–हमीरपर– मैं उद्योग का समर्थन करता हूॅं।
9. श्री तेजराम गुप्ता, ग्राम–हमीरपुर – मैं उद्योग का समर्थन करता हूॅं।
10. श्री भवानी शंकर खंडक, हमीरपुर– मैं उद्योग का समर्थन करता हूॅं।
11. श्री लक्ष्मण चौहान, हमीरपुर – मैं उद्योग का समर्थन करता हूॅं। यहां का वातावरण बदल जाना चाहिए। सबको बदल जाना चाहिए।
12. श्री भूपदेव सिंह राठिया, जोबरो – हम जो मांग किये हैं उसे कंपनी को दे दिये हैं। हमारा समर्थन है।
13. श्री विश्वनाथ राठिया, उप सरपंच, जोबरो – मैं उद्योग का समर्थन करता हूॅं।
14. श्री चंद्रमणी ठेठवार, सेवानिवृत्त शिक्षक, हमीरपुर – जोबरो एवं हमीरपुर पंचायत के लोगों ने संयुक्त रूप से ग्रामसभा करके कुछ बिंदुओं को जिलाप्रमुख के सामने रखा। उस पर काफी चर्चायें हुई । चर्चा के कुछ बिंदु इस प्रकार है – जैसे 4–5 साल हो गए हैं जमीन खरीद फरोख्त हुआ है। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार खरीद फरोख्त

हुआ है राशि का आदान प्रदान हुआ है। अभी की स्थिति में हम स्थापित होने देना चाहते है। केंद्र सरकार से हरी झंडी मिल गई है। आज की लोक सुनवाई सफल होगा। जमीन का अधिग्रहण और राशि अदान प्रदान पर विचार करने की बात है। एक मानक राशि जो प्रशासन से निर्धारित है। उस राशि के तहत खरीद फरोख्त होना चाहिए। जो नहीं हुआ है उसकी बचत राशि स्थापित होने के बाद जो विक्रय किया है उन्हें आज के दाम के अंतर की राशि मिलना चाहिए। जनता की कुछ समस्याएं है। उनकी आपेक्षाओं की पूर्ति हम कंपनी से चाहेंगे। विकास के लिए दोनों पचायतें अपना कदम आगे बढ़ा दिया है। हमें यहां पर सकारात्मक सोच रखनी होगी। विकास के लिए चर्चा करनी है विनाश के लिए नहीं। हमारे युवा जाग चुके हैं। आज अपनी पैतृक संपत्ति को कंपनी के मार्फत करता है तो जरूर कोई सोच होगी। हमारे लड़के बच्चों को चाकरी चाहिए। कंपनी से निवेदन करता हूँ कि दोनों पंचायते के युवा वर्ग को रोजगार दिया जाये। कुशल अकुशल कर्मचारी कंपनी को चाहिए। हमारे युवा इस कंपनी से अभी अनभिज्ञ हैं। हमारा यह क्षेत्र पर्यावरण के नाम से अछूता है। यहां के लोग स्वच्छ वातावरण में सांस ले रहे हैं। मेरा कंपनी से गुजारिश है कि जो कंपनी के नाम से अनभिज्ञ है उस युवा वर्ग को प्रशिक्षित करें। ठेकेदार के नीचे नहीं कंपनी में रखें। नहीं तो विवाद होगा झंझट होगा। कंपनी युवाओं को प्रशिक्षत करें अपने लायक बनायें। धर्म में आस्था रखने वाले हर घर में मंदिर, बूढ़ी घर है। आस्था का प्रतीक दोनों ग्राम पंचायत में है उसका जीर्णोद्धार पुर्णोद्धार करें। हम चाहेंगे कंपनी यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर करें। दुर्गामंदिर, जगन्नाथ मंदिर जोबरों में इसका पुनर्निर्माण करें। मौलिक आवश्यताएं चाहिए। पानी चाहिए, सड़क चाहिए। जिलाप्रशासन ने हमसे कहा है आपकी सारी मांगे जायज हैं। यह मैं कंपनी और कंपनी प्रबंधन को दूंगा। हर तरह के लोग आयेंगे, लोगों का वातावरण बदल जायेगा। सब तरह के लोगों के चाल चलन को पुलिस देखे। यह पुलिस को जाता है। नियुक्ति के पूर्व कायदे से पुलिस वेरीफिकेशन हो जो बाहर से आ रहे हैं। यह पुलिस प्रशासन को जायेगा। ऐसा नहीं हुआ तो घटनाएं घटेंगी, जिससे पुलिस ही परेशान रहेगी। सभी कर्मचारियों का पुलिस वेरीफिकेशन हो। चिकित्सा की व्यवस्था हो। यहां डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। अस्पताल खोला जाये यह कंपनी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ताकि जनता निरोग रह सके। हम हरी झंडी दे दिये हैं। यहां कोई कोलाहल नहीं है कोई विरोध नहीं है। मैं समर्थन देने आया हूँ।

15. श्रीमती हाराबाई सोनी, हमीरपुर – मैं उद्योग का समर्थन करती हूँ।
16. श्रीमती रसनी बाई, हमीरपुर – मैं उद्योग का समर्थन करती हूँ।
17. फुलेश्वरी, हमीरपुर – समर्थन करती हूँ।
18. रेवती, हमीरपुर – मैं उद्योग का समर्थन करती हूँ।
19. श्रीमती शिवकुमार, हमीरपुर – मैं उद्योग का समर्थन करती हूँ।
20. घसियानो, हमीरपुर – मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
21. सुभासिनी, हमीरपुर – मैं उद्योग का समर्थन करती हूँ।
22. ललीता साव, हमीरपुर, दुर्गा समिति अध्यक्ष, – मैं कंपनी का समर्थन करती हूँ।
23. श्री ज्ञानसागर गुप्ता, जांजगीर, ब्लॉक–तमनार – मैं बहुत कुछ कहने इस जगह में आया हूँ। मैं इस कंपनी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। यहां न अस्पताल था, न स्कूल था। हम बहुत कुछ झेले हैं। मैं कंपनी को साथ देने आया हूँ। इस क्षेत्र में

कोई सुविधा नहीं थी। स्कूल, कॉलेज नहीं थे। इस क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ। इस क्षेत्र में कोल हैं और इस क्षेत्र का एक दिन विकास होगा। अच्छे–अच्छे कंपनी आयेंगे। 11 साल से यह क्षेत्र पिछड़ा था। 51 प्रतिशत कार्य अच्छा है तो उसे हम अच्छा बोलेंगे। हम इस कंपनी का पुरजोर समर्थन करते हैं। आने वाली सभी कंपनी का हम समर्थन करते हैं। हम माल गुजार हैं। हमारे यहां जो जो पांच दस हजार रूपये पाते थे आज वो उद्योग से 40 हजार रूपये पाते है। हमें खुशी है। समर्थन करता हूँ।

24. श्री विवेकानंद साहू, पड़ीगांव – हमारा गांव भी जोबरो पंचायत से लगा हुआ है। मैं उद्योग प्रबंधक गण से निवेदन करूंगा कि वो भी हमारे गांव में विकास कार्य करें क्योंकि उद्योग का धुंआ भी हमारे गांव में आयेगा। हमीरपुर, जोबरों के आसपास के सभी ग्रामों का विकास करें। लोगों को नौकरी दें। मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ।
25. श्री हेतराम टोप्पो, जनपद पंचायत सदस्य, तमनार – आधा कि.मी. लगा हुआ हमारा यह क्षेत्र है। समाज कल्याण कार्य एवं स्थानीय बेरोजगारों को रोजगारों को 25 प्रतिशत हमारे क्षेत्र में भी विकास करें। हमारा क्षेत्र गरीब क्षेत्र है कृषि क्षेत्र है। कंपनी आने से लोगों को रोजगार मिलेगा। समर्थन है।
26. श्री गणेश प्रधान, हमीरपुर – समर्थन ।
27. श्री अनिल कुमार मिश्रा, हमीरपुर – कंपनी का समर्थन करते हुए कंपनी को एक बात आग्रह रूप से कहूंगा कि यहां जा प्लांट लगाया जा रहा है कंपनी को यह चाहिए कि कंपनी हमारे युवा भाईयों को रोजगार देती है तो पूरा युवा वर्ग इस कंपनी के सदा साथ रहेगी। यहां के युवा वर्ग अकुशल है। उन्हें ट्रेनिंग देकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे। हमीरपुर और जोबरो को छोड़कर आसपास के सभी प्रभावित ग्रामों पर ध्यान दें। हम कंपनी के साथ हैं।
28. श्री बलराम गुप्ता, हमीरपुर – मुझे खुशी है कि यहां प्लांट आया है। मैं कंपनी का पूर्ण समर्थन करता हूँ।
29. श्री सत्यजीत कुमार, हमीरपुर – समर्थन।
30. श्री पुरूषोत्तम मेहर, हमीरपुर – समर्थन
31. श्रीमती हीराबाई, हमीरपुर – समर्थन
32. श्रीमती मालती प्रधान, हमीरपुर – समर्थन
33. सौदामी सोनी, हमीरपुर – समर्थन
34. रूर्वशी , हमीरपुर – कंपनी के साथ हूं।
35. पुष्पा गुप्ता, हमीरपुर – समर्थन
36. गीतांजली, हमीरपुर – समर्थन
37. मालती, हमीरपुर – समर्थन
38. सरोजिनी सोनी, हमीरपुर – समर्थन
39. कनक, हमीरपुर – समर्थन
40. कुमोदिनी , हमीरपुर – समर्थन
41. देवकुमारी, हमीरपुर – समर्थन
42. रामबती, हमीरपुर – समर्थन
43. भगवती, हमीरपुर – समर्थन
44. माधुरी गुप्ता , हमीरपुर – समर्थन
45. आनंदी, हमीरपुर – समर्थन

46. गंगई खंडेल, हमीरपुरर – समर्थन
47. भगवती, हमीरपुर – समर्थन
48. मिथिला बारीक, हमीरपुर – समर्थन
49. नवाकांती, हमीरपुर – समर्थन
50. कविता, हमीरपुर – समर्थन
51. पियावती साहू, उपसरपंच, पड़ीगांव – समर्थन
52. श्री चतुर्भुज साव, हमीरपुर – समर्थन
53. जयपाल बारीक, हमीरपुर – समर्थन
54. जादो मेहर, हमीरपुर – मैं कुछ काम चाहता हूॅ। कंपनी मुझे काम दें।
55. दुकालू राम यादव, हमीरपुर – समर्थन
56. रामकुमार निषाद, हमीरपुर – समर्थन
57. अंगद प्रधान, हमीरपुर – इस गांव में जितने भी बेरोजगार लोगों को उनको अनिवार्य रूप से रोजगार कंपनी दिलाने की कोशिश करें।
58. अरखूत साहू, हमीरपुर – समर्थन
59. सीताराम प्रधान, हमीरपुर – समर्थन । कंपनी हमको सहायता करें।
60. श्याम साव, हमीरपुर – समर्थन
61. रघुवंश सिदार, पाली, – समर्थन
62. विक्रम निषाद, हमीरपुर – समर्थन
63. सालोराम मांझी, हमीरपुर – समर्थन
64. परमानंद खंडेंल, हमीरपुर – समर्थन
65. राकेश कुमार बारीकक, हमीरपुर '– समर्थन
66. रोहित कुमार मेहर, हमीरपुर – समर्थन
67. पालूराम प्रधान, हमीरपुर – समर्थन
68. रामलाल पटेल, टपरिया उड़ीसा – हमारा गांव भी प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है। हमारे गांव पर भी ध्यान दिया जाये।
69. जगमोहन प्रधान, सुंदरगढ़, उड़ीसा – टपरिया चंद्रपुर गांव लगा हुआ है। जो प्रदूषण होगा वह सारे क्षेत्र में फैलेगा। जमीन वालों को रोगजार दिया जाये। टपरिया चंद्रपुर वालों को गोद लिया जाये। क्षेत्र का विकास किया जाये।
70. कन्हैय पटनायक, गोढ़ी, – समर्थन
71. जयंत बहीदार, संघर्ष मोर्चा रायगढ़ – मैं इस लोक सुनवाई के लिए प्रस्तावित परियोजना का विरोध करता हूॅ। इस परियोजना को रद्द करने की मांग करता हूॅ। प्रस्तावित परियोजना के लिए आहूत रोक लगाने की मांग करने की मांग करता हूॅ। मेरे द्वारा रखे तथ्यों पर ध्यान दिया जाये। मेरी बातों को लिखा जाये। कलेक्टर महोदय ने कंपनी के पक्ष में समर्थन कर लोगों को बहलाया है। कंपनी का प्रचार किया है। कंपनी के दलाल बोल रहे थे कंपनी का समर्थन करो या मैदान खाली करो। जो हल्ला कर रहे हैं उसे हटाइये। हमारे बोलने से पहले शांती थी हमारे बोलने से पुलिस वालों को क्या हो गया। यह लोक सुनवाई रोक देनी चाहिए। यह लोक सुनवाई निष्पक्ष नहीं रह गया। कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए कलेक्टर ने प्रचार किया । इस लिए लोक सुनवाई रोक देनी चाहिए। यह गैर कानूनी है। नोट करें। हम अमित कटारिया से भी निपटेंगे रायगढ़ में। कंपनी ने 29.12 को लोक सुनवाई के लिए आवेदन किया उसके 45 दिन बाद लोक सुनवाई होनी थी। परंतु 5

माह बाद जिला प्रशासन एवं पर्यावरण विभाग ने कार्य प्रांरभ किया। हमाने आवेदन किय ायह लोक सुनवाई गैर कानूनी होगी। केंद्रीय पर्यावरण के प्रावधानों का उल्लंधन होता है। इसलिए लोक सुनवाई रोक देनी चाहिए। कलेक्टर ने कहा किसी भी हालत में लोक सुनवाई नहीं रूकेगी। कंपनी ने एक छोटा पत्र दे दिया। कंपनी के आदेश को शिरोधार्य माना हे। कंपनी के हित में लोक सुनवाई स्थगित कर दिया। विशेष परिस्थिति में लोक सुनवाई निरस्त की जा सकती है। कंपनी के लिखकर देने से लोक सुनवाई स्थगित करने का कोई तुक नहीं है। कंपनी ने अपने कंपनी के नाम परिवर्तन की जानकारी नहीं दी। कंपनी का यह जो नाम दिया है इसका नाम परिवर्तन होकर जायसवाल निको नाम दिया। 21 अक्टूबर 2010 को कंपनी का नाम कर दिया। यह शासन के नियमानुसार हुआ है। हम मानते हैं। 21.10.2010 के बाद पुराने नाम पर सरकारी विभागों से पत्रव्यवहार किया है। अधिकारियों द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। और इसकी जानकारी पर्यावरण विभाग को छुपाया है। मैं विरोध में बोल रहा हूँ इस लिए मेरे लिए समय की बात कही जा रही है। प्रावधान में समय निर्धारित नहीं है। हमने पर्यावरण विभाग एवं प्रशासन को, रायपुर एवं केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली को भी आपत्ति पत्र प्रस्तुत किया है। 17 जून को लोक सुनवाई के स्थगन को अधिसूचित नहीं किया गया। अखबारेां में प्रकाशन किराया जाता है। पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर को भी इसकी सूचना नहीं दी गई। लोक सुनवाई को केंद्र सरकार किसी एंजेंसी को सौंपा जाता । इस प्रकार नियमों का उल्लंघन किया गया। कंपनी का ईआईए रिपोर्ट 28.10.2010 को तैयार किया गया है। इस बात को ध्यान देंगे। कंपनी का नाम पुराने नाम पर रिपेार्ट तैयार किया गाय है। जबकि उससे पूर्व कंपनी का नाम बदल गया था। इसलिए हमारी मांग है यह लोक सुनवाई अवैध है। कंपनी के नाम पर नया आवेदन प्रस्तुत किया जाये। छ.ग. जल संसाधन विभाग ने जायसवाल निको इंडस्ट्रीज निको को केलो नदी से जल आपूर्ति करने की अनुमति दी गई है। इस कंपनी को जल संसाधन विभाग ने अनुमति नहीं दिया है। यह हमारी आपत्ति है। उर्जा विभाग ने भी जो एम.ओ.यू हुआ है वो भी जायसवाल निको के नाम पर हुआ है। जायसवाल उर्जा के नाम से नहीं हुआ है। वेलीडेटी भी समाप्त हो चुका है। हम रायगढ़ जिले के हैं तमनार और हमीरपुर रायगढ़ जिले में आता है। हम परदेशी नहीं है। क्षेत्रीय लागों को बोलने का अधिकार हे। बाहर के लोग बोलने लिखने का अधिकार नहीं रखते । विधायक को इसका कोई अधिकार नहीं है। हम हृदय राम राठिया से चुनाव में निपटेंगे। लोक सुनवाई के पहले गांव में आकर हृदय राम राठिया ने क्षेत्र के लोगों को बहलाया बरगलाया है। धमकी दी है। कंपनी ने 21. 10.2010 के बार शपथ पत्र प्रस्तुत किया है उसमें भी रायगढ़ एनर्जी का नाम उपयोग किया है नया नाम जायसवाल निको उर्जा लिमिटेड से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया है। कंपनी ने नाम परिवर्तन को छुपाया है। इसलिए लोक सुनवाई स्थगित किया जाये।

72. उर्मिला, हमीरपुर – समर्थन।
73. गायत्री खंडेल, पाली – आपकी बातें से मै सहमत है। मैं सहमत हूँ।
74. आसमती, पाली – –
75. गनेशी, पाली – मेरे गांव को जाकर देखिये । हमारे गांव कुछ अच्छा नहीं है।
76. कुनकुला, पाली – हमारे गांव को मजबूत बनाना।
77. सत्यवती, हमीरपुर – समर्थन।

78. उर्मिला, हमीरपुर – समर्थन।
79. दशमती, हमीरपुर – समर्थन।
80. पदमावती, जोबरो, – समर्थन। महिला बैठक नहीं है। चाहिए।
81. उजागर मती राठिया, जोबरो – हमारे गांव में फैक्ट्री खुल जाये।
82. अंजोर मती, हमीरपुर – समर्थन।
83. वृंदा, जोबरो – समर्थन। सभी लोगों का सहयोग करें। सुविधा दें, तालाब नहीं है। हमारे बाल बच्चों को नौकरी दें।
84. राधेश्याम शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता, रायगढ़ – आज जो जन सुनवाई हो रही है वह पूर्णतः असंवैधानिक है। 19 तारीख को मेरा आवेदन प्रस्तुत किया गया था। 5 वी अनुसूची में तमनार ब्लाक दर्ज है। किसी भी प्रकार का औद्योगिक निर्माण करने का अधिकार नहीं हे। पूरे राज्य एवं जिले में प्रशासिक अधिकारी द्वारा संविधान का पूरा उल्लंघन किया जा रहा हैं जो पूरे देश के लिए नुकसान देय है। क्या जिला प्रशासन के पर्यावरण विभाग के जो अधिकारी हैं जो वर्तमान में रायगढ़ व तमनार जिले के पर्यावरण प्रदूषण का बता सकते हैं। यह हमारे पर्यावरण अधिकारी भी नहीं जानते। यहां जल एवं वायु में कितना प्रदूषण है वो भी नहीं जानते। जब तक आम नागरिकों को उस क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थिति मालूम नहीं होगी जब तक जनसुनवाई सफल नहीं हो सकती। जिला प्रशासन का नैतिक दायित्व रहता है कि ग्रामीण लोगों को इस बारे में पूरी जानकारी दी जाये। जन सुनवाई की अधिसूचना में टाईम का बाउंडेशन नहीं है। अतः आपत्ति और समर्थन करने वालों को रोकने का कार्य नहीं करें। मैं निवेदन करता हूॅं। कंपनी को कितनी जमीन उद्योग स्थापना के लिए चाहिए? ईआई ए में भूमि संबंधी जानकारी नहीं दर्ज कराई गई है। राज्य एवं केंद्र शासन को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अधिसूचित क्षेत्रों में सरकार भूमि अधिग्रहण नहीं कर सकती । यदि भूमि अधिग्रहण किया गया है तो वह भूमि किसानों को पुनः वापिस करनी चाहिए। यह उच्चतम न्यायालय का आदेश है। कितनी जमीन क्रय की गई है और कितनी जमीन भूअर्जन करके किया जाना है? उद्योग प्रबंधन ने बताया कि 480 एकड़ भूमि की आवश्यता होगी। अभी तक 110 एकड़ जमीन क्रय की गई है। जिला प्रशासन के पास अर्जी नहीं की गई है। उद्योग प्रतिनिधि ने बताया कि उन्हें 250 एकड़ जमीन भू–अर्जन अनुमानित आवश्यकता होगी। हमे अनुमान अनुसार 250 एकड़ जमीन भूमि अधिग्रहण के अनुसार की जानी है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले मे जो निर्णय दिया गया है। 5वी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में भूअर्जन करने का अधिकार नहीं हैं। इस परिस्थितियों को जानते हुए भी जिलादंडाधिकारी ने भी लोक सुनवाई का निरस्त नहीं किया गया। क्या आपको राष्ट्रपति का अधिकार है। क्या आप भी संविधान का उल्लंघन करेंगे। मैं किसी भी अधिकारी को संविधान का उल्लंघन करने नहीं दूंगा। क्या केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने इस देश के संविधान का उल्लंघन करने की अनुमति दी है? नया संविधान बनाईये और लगाइए उद्योग।
85. विष्णु स्वरूप गुप्ता, बिजना, – यहां से बिजना की दूरी 5 कि.मी है। मैं यह जानना चाहूंगा कि मेरे यहां हमीरपुर में कितने लोग यहां उपस्थित हुए हैं उनके लिए मैं प्रश्न करना चाहता हूॅं। 100 मेगावाट विद्युत व्यवस्था के लिए कम से कम 150 एकड़ जमीन और अधिक से अधिक 250 एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है। यदि 600 मेगावाट खोलने का यहां प्रस्ताव है। इनको क्या आश्वासन दिया है 300 एकड़

जमीन अभी तक लिए है। कंपनी जमीन अधिग्रहण के लिए 1500 एकड़ जमीन कहां से लेंगे? 1500 एकड़ जमीन कहां से लेंगे आज यह क्लीयर कर लेवे। इन्होंने दर्शाया है 300 एकड़ जमीन जो लिया गया है उसमें 120 एकड़ में पानी का टैंक बनेगा तो किस तरीक से फैक्ट्री बन सकता हैं? हमारे स्थानीय ग्रामीणों को यह बताये। कल जब 1200 एकड़ जमीन जायेगा तो रोने के लिए किस लीडर के पास जायेंगे। आज जो फैक्ट्री लगेगा तो उसका विकास किस ओर जायेगा? जमीन अधिग्रहण की स्थिति स्पष्ट करें। कंपनी अपनी विकास निधि को कहां कहां व्यय करेंगे यह कंपनी की मजबूरी है। विकास निधि को ईमानदारी से खर्च करें। जहां समर्थन और विरोध की बात हुई वहां जाकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। और पर्यावरण अधिकारी तक पहुंचाई गई। उसमें विष्णु देव गुप्ता भी लिखा गया है। कौन वह व्यक्ति है जो मेरा हस्ताक्षर कर भेजा है। मेरा अनुरोध है कि ऐसे हस्ताक्षर युक्त कागज का दुरूपयोग नहीं करें। आप समर्थन करे तो अच्छा नहीं करें तो अच्छा। मेरे क्षेत्र के सारे जनता आप अपने हस्ताक्षर का दुरूपयोग करने न दें। यदि ऐसा होता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाये। हमारे आसपास के किसी भी व्यक्ति का कोई अपमान नहीं होना चाहिए। कंपनी छोटे कर्मचारी को धिक्कारते हैं। अपमान का भरपूर विरोध किया जाये। अधिकारी एक निश्चित सीमा से बंधे होते हैं। चाहे काई भी हो। अपनी सीमा के भीतर उनको कार्य करने की अपेक्षा हम उन पर कोई दोष नहीं देना चाहते। किसी भी अनपढ़ व्यक्ति के मानव अधिकार, उनकी ईमानदारी पर कोई आक्षेप न उठाये। मैं इन सब बातों कहते हुए आरोप दर्ज कराता हूँ। हमारे किसी भी व्यक्ति का कोई अपमान करेगा उसका मैं भरपूर विरोध करता हूँ। रमन सरकार द्वारा जो निर्धारित किया गया है वह जमीन की राशि दी जाये। भू अधिग्रहण जो नियम पेश किया गया है उसमें सारी नियम कानून बनाये गये हैं उसे हमीरपुर में भी लागू किया जाये। भाईयों उस जमीन का मुआवजा 33 साल तक मिलता रहेगा। संसद में जो पास हुआ है उसके मुताबिक पास करने की मांग करो। हमीरपुर में पर्यावरण की क्या स्थिति हैं यह जनता के सामने क्यों नहीं रखा गया है? फैक्ट्री डेवलप करने के पहले हमारे बातों को ध्यान दें। हमारी सारी बातों को जनता के सामने आज ही रखें।

86. रजनी राठिया, जोबरो – पूरा समर्थन। हमारी जो भी मांग है उसे पूरा करें। बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल, तालाब, रोड सभी को पूरा करें। आने जाने का साधन नहीं है उस पर भी ध्यान दें।

87. सविता रथ, जन चेतना मंच, रायगढ़ – यह क्षेत्र संपूर्ण रूप से उड़ीसा बॉर्डर है। ईआईए रिपोर्ट में उड़ीसा क्षेत्र की भी अनुमति नही है। उड़ीसा बार्डर के लोगों को भी बुलाना था। उड़ीया भाषा में भी बात होनी थी। तकनीकी बिंदु की जानकारी होनी थी। आपकी अंग्रेजी की रिपोर्ट आप तक ही सीमित है। स्थानीय भाषा, सरलहिंदी भाषा में होनी चाहिए। हाथी रहवास क्षेत्र के नाम से वन विभाग ने बोर्ड रखा गया है। क्या वन विभाग से क्लीयरेंस मिला है? तो वह कागज देवें। 110 एकउ़ जमीन ले चुके हैं किस दर से लिया गया है। क्या उसका व्यपवर्तन हुआ है? इसकी जानकारी देवें। 10 वर्ष के पहले जमीन का व्यपवर्तन नहीं हो सकता। आप कैसे उद्योग लगायेंगे। इस सड़क में 80 टन का माल कैसे जायेगा ? इआईए रिपोर्ट में उषा कोठी महत्वपूर्ण एतिहासिक स्थल को छुपाया गया है। ऐतिहासिक स्थल के आसपास कंपनी नहीं लगनी चाहिए। लोगों तक गलत सूचना पहुंचा है। ईआईए रिपोर्ट में

रायगढ़ जिले में सड़क दुर्घटना का एक भी बिंदु नहीं दी गई है। यह एक गंभीर माला है। 80 एकड़ जमीन में 1523 पेड़ बताया गया है। यह आंकड़ा कैसा बताया गया है। यह जगह भी रिजर्व फॉरेस्ट है। इसकी जांच करवाई जाये। आपने कहीं भी युवा लड़के लड़कियों के रोजगार के लिए क्या करेंगे स्पष्ट नहीं है। आज तक किसी भी कंपनी ने रोजगार से युवा लड़के लड़कियों को रोजगार हेतु पंजीयन नहीं किया गया है। अनुसूची 5 के अंतर्गत यह क्षेत्र है। ग्राम सभा की अनुमति इस कंपनी नहीं लिया गया है।

88. संकेतन सिदार, गोढ़ी – तमनार को उर्जा की नगरी बनाने वाले हैं कंपनी वाले। 40 साल से बैठे हैं हम जमीन को पकड़कर। फैक्ट्री आने से क्षेत्र का विकास होगा। हम निको जायसवाल का सत्कार करते हैं स्वागत करते हैं। विकास होने दो। उनके नाक के सामने फैक्ट्री बैठा है और लोग हमीरपुर आकर विरोध कर रहे हैं। रायगढ़ में कितना फैक्ट्री बैठा है। विरोध करना है तो तरीके से करो। ये मुल्ला लोग कहां गए थे जब हम विरोध करते थे। ये संविधान की बात करते हैं इन्हें संविधान क्या मालूम। आदिवासी के साथ लोग बदमाशी कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र के बेरोजगार लोगों को सर्वे कर नौकरी के लायक लोगों को नौकरी प्रदान करें। शासन ध्यान नहीं दिया तो कम से कम फैक्ट्री तो ध्यान देवें। आप जनहित में आकर उन्हें नौकरी देवें। जनता आपके साथ हैं। निको जायसवाल जिंदाबाद।

89. दिनेश कुमार श्रीवास– गोढ़ी – समर्थन।

90. लक्ष्मी राठिया, गाढ़ी – समर्थन।

91. गौतम प्रसाद गुप्ता, गोढ़ी – समर्थन।

92. तुलसी निषाद, डोलेसरा – मैं अपनी सहमति है। उनका मैं वेलकम करता हूँ। शासन के द्वारा जो रूल्स हैं वो सभी रूल्स का अनुसरण करें। जो प्रबंधन से, प्रशासन से निवेदन है कि हमेशा काम करें जो नियमों के अंतर्गत है। पर्यावरण प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वृक्षारोपण करें। पावर प्लांट हाई क्वालिटी का हो । लोगों के हित में काम करें। जमीन का उचित मुआवजा मिले। इस क्षेत्र में जितने भी गरीब और भूमिहीन को योग्यतानुसार रोजगार मिले। कई लोग शिक्षित हैं उनके पास रोजगार नहीं है। बेरोजगारों को रोजगार दिया जाये। जहां सरकार काम नहीं करा पाती है कंपनी उसे टेकल करें। पब्लिक हेयरिंग को मैं सपोर्ट करता हूँ। कंपनी अच्छा से अच्छा काम करें। प्रभावित लोगों के साथ उचित कार्य करें।

93. अजय पटनायक, डोलेसरा – मैं इस ग्रामीण क्षेत्र का युवक हूँ। पिछले 10 साल से जो यहां परिवर्तन होते जा रही है। वह हमारे सामने है। जो लकड़ी को काटकर या महुवा का शराब बनाकर जिया करते थे । लोगों के पास कृषि के अलावा कोई काम नहीं रहता था। इसके अतिरिक्त जिनके पास काम नहीं रहता था वह अपराधिक प्रवृत्ति के हो जाते थे। औद्योगिककरण का नाम लेते ही हमारे सामने विकास की स्थिति दिखाई देती है। बढ़ती हुई जनसंख्या और वर्तमान जो जमीन है वह किसी भी तरह हमारे लिए उपयोगी नहीं हो सकती कि हम कृषि के माध्यम से अपना जीवन जी सके। उद्योग के आने के बाद जितनी समानता आई है वह लोग जानते हैं। उद्योग आने के बाद हर किसी के पास पैसा आ गया है। चाहे वह व्यवसाय कर रहा हो या ठेकेदारी कर रहा है। हर किसी के पास पैसा है। आज कोई किसी के दबाव में नहीं है। इसका मेन कारण सिर्फ उद्योग है। जहां कंपनी बस चुकी है वहां की जनता बहुत खुश है सम्पन्न है। हम सभी को इस कंपनी का समर्थन करना चाहिए।

आज मूलभूत सुविधाओं का हमे फायदा मिल रहा है। इस क्षेत्र में बिल्कुल उद्योग खुलना चाहिए। सभी को वो सुविधा मिलनी चाहिए जो अन्य जगह मिल रही है। कंपनी आने से अच्छे–अच्छे स्कूल खुल रहे हैं। जिससे कई आप्शन खुल रहे है। उद्योग लगने से इस क्षेत्र के लोगों को भी फायदा मिलेगा। यहां जों कंपनी स्थापित की जा रही है। कंपनी से मेरा अनुरोध है कि हाई तकनीक की कंपनी लगाया जाये। अधिकारी गलत नीति के आधार पर विरोध का कारण बना देते है। कंपनी गांव के आशा के अनुरूप कार्य करें।

94. कैलाश कुमार गुप्ता, तमनार – मैं कहना चाहूंगा कि मुख्य तथ्य यह है कि क्या यहां पावर प्लांट स्थापित होने से पर्यावरण के संबंध में क्या क्या विनाश हो सकते हैं क्या क्या परेशानिया हो सकती है उन पर क्या क्या कदम उठाया जाये कि वह सब निपटा सके। कलेक्टर महोदय एवं विधायक महोदय लोगों की समस्याओं को सुनकर त्रिपक्षीय वार्ता कर लोगों के सामने लिखित एग्रीमेंट कराया। उनका मैं तहेदिल से स्वागत करता हूं। ग्राम सभा का खुला आयोजन कराया गया विधायक महोदय का भी मैं धन्यवाद देता हूं। कोई भी गांव में ग्रामीण क्षेत्र में कुछ भी कार्य का कियान्वयन किया जाता है तो ग्राम सभा का अभिमत सर्वोपरि होना चाहिए। कानून हमारे ग्रामीण लोगों की संस्कृति , अभिमत, रीति रिवाज से कानून बनता है। महत्व इस बात का है जिस क्षेत्र में जो कार्य किया जा रहा है उस क्षेत्र. की 80 प्रतिशत जनता समर्थन कर रहे हैं या नहीं कर रहें। कंपनी के खुलने से रोजी रोजगार की सुविधा बढ़ेगी। विकास के साथ विनाश भी देखना पड़ता है। पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने के लिए ईएसपी संयंत्र को लगातार चालू रखना चाहिए। हरित पट्टी का विकास करना चाहिए। वाहनों चलने में सीसा रहित पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग करना चाहिए। इस क्षेत्र में बहुत सारे उद्योग और माईंस स्थापित हो चुके है। इस कंपनी द्वारा जरूर हरित पट्टी का क्षेत्र निश्चित किया गया होगा। कंपनी आये स्वागत है। कंपनी आने से सोर्स ऑफ इंकम बढ़ेगा। हमारे इस क्षेत्र के साथ अन्याय नहीं करें, शोषण नहीं करे। स्थानीय लोगों के साथ कंपनी गलत कार्य करता है तो मैं उसका पूरजोर विरोध करूंगा। सीएसआर की राशि का उपयोग पूंजीपतरा मुख्य मार्ग में स्ट्रीट लाईट लगाने में करें। हम अपने दायित्वों का निवर्हन भली भांति करें।

95. मिलाप सिंह सिदार, गोढ़ी – समर्थन।

96. लखन पटनायक, डोलेसरा – समर्थन।

97. नरेन्द्र पटनायक, डोलेसरा – समर्थन। तमनार ब्लॉक और सभी ग्रामों के बेरोजगारों को रोजगार मिले।

98. संजय भगत, डोलेसरा – समर्थन।

99. सुमति बेहरा, जोबरो वार्ड कमांक–8 का मेंबर – समर्थन।

100. मुरलीधर प्रधान, हमीरपुर – हमारे गांव में आकर हमारे दर्द को सुनिये। विधायक, एसडीएम कलेक्टर महोदय आये और हमारे गांव के दुख दर्द को सुने। कलेक्टर महोदय ने कहा हम आपके लिए योग्यता बनाकर कंपनी में रोजगार दिलायेंगे। हम आईटीआई में यहां के युवाओं को भेजेंगे और कंपनी में काम दिलायेंगे। हमारी जमीन हमारी मां है। उससे हमारा जीवन निर्वाह होता है। जिनकी जमीन जाने वाली है वह शासन के निर्धारित दर में मुआवजा दिलायेगें। यहा शांतिपूर्ण वातावरण है। कंपनी में जो लोग आये अपराध मुक्त लोग आये। विकास के लिए कंपनी का समर्थन करता हूं।

101. रघुवीर प्रधान, एकता परिषद, रायगढ़ – लोगों को स्पष्टीकरण देना चाहिए यह शिविर जनसमस्या निवारण शिविर है कि पर्यावरण निवारण शिविर है। यहां सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट होना चाहिए। यहा टिकाउ विकास कैसे हो इसके लिए क्या करना चाहिए। यह जरूरी है। इस क्षेत्र में लैंड यूज पैटर्न बताया या है यह 10 प्रतिशत है। 2.94 मिलियन टन कोयले का कितना राख निकलेगा बॉटम एश का स्टोरेज कहां करेगें इसका स्पष्ट नहीं है। यहा 225 घनमीटर पानी लिया जायेगा केलो नदी की दूर नहीं बताई गई है। भूगर्भ जल की स्थिति नहीं बताई गई है इससे प्लांट भी जायेगी यहां की स्थिति भी जायेगी।

102. कुंती बाइ, जोबरो – महिला समूह के लिए बैठक के लिए जगह नहीं है।

103. कमला राठिया, जोबरो– समर्थन।

104. प्रिया राठिया, जोबरो –

105. पदमा राठिया, जोबरो–

106. यशोदा , हमीरपुर – समर्थन।

107. देवकुमार, हमीरपुर – समर्थन।

108. मुक्ता, हमीरपुर – समर्थन।

109. बिलासरी, हमीरपुर – समर्थन।

110. विकास सिदार, गोढ़ी – बेरोजगार भाई को रोजगार मिलना चाहिए। समर्थन।

111. प्रदीप पसाय, बेलपहाड़, उड़ीसा – रायगढ़ जिला के कल्चर से मिलता जुलता हमारा कल्चर है। मेरी बड़ी बहन की शादी हमीरपुर में हुई है। इनक बगैर सहमति के इनकी जमीन को उद्योग ने ले लिया है। बलराम नाई ने इनकी जमीन को कंपनी के नाम पर बिक्री कर दिया है। जो गलत है।

112. चमार सिंह राठिया, जोबरो – जमीन के संबंध में कलेक्टर महोदय को आवेदन करना चाहता हूँ।

113. अनुज कुमार चौहान, पड़ीगांव – हमारे किसान जो किसानी करते हैं वे बेरोजगार हो जायेंगे। ठेकेदार काम करेगें हम मजदूर हो जायेंगे। स्कूल खोला जाये ताकि हमारे बच्चे लोग काम कर सके। कंपनी का मजदूर बने। शिक्षण प्रशिक्षण के लिए स्कूल खोला जाये। मैं समर्थन करता हूँ।

114. रामलाल सिदार, गोड़बहरी – आवेदन दे चुका हूँ। पूरा–पूरा समर्थन। किसनों को वाजिब मुआवजा दिया जाये। प्रत्येक परिवार को नौकरी जिनकी जमीन गई है दी जाये। सड़क की रखरखाव की जाये, स्कूल खोला जाये। पानी की व्यवस्था की जाये।

115. राजेश त्रिपाठी जन चेतना, रायगढ़ – कोई कंपनी आवेदन के साथ 7 दिवस के अंदर सूचना जारी की जानी चाहिए और 45 दिन के अंदर जन सुनवाई सम्पन्न कराई जानी चाहिए। यदि सरकार इस कार्य हेतु असफल होता है। केंद्रीय मंत्रालय समिति का गठन करेगा। आज की जन सुनवाई संवैधानिक नहीं है। 10 कि.मी. की रेडियस के अंदर फॉरेस्ट और रिजर्व फॉरेस्ट नहीं है। यह गलत है। कंपनी ने ईआईए में कहा है कि यह क्षेत्र हाथी प्रभावित क्षेत्र नहीं है। जिला फॉरेस्ट अधिकारी ने कहा है कि यह क्षेत्र हाथी प्रभावित क्षेत्र है। वन विभाग का बोर्ड भी लगा है। तमनार विकासखंड अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है यहां जमीन का परिवर्तन किसी भी स्थिति में नहीं कर सकते। इस क्षेत्र की जमीन का डायवर्सन 10 साल तक नहीं हो सकता। क्या कंपनी 10 वर्षों तक इसका इंतजार करेगी। इआईए में बताया

गया है 10 प्रतिशत क्षेत्र में कृषि भूमि है। ढाई एकड़ के हिसाब से 600 मेगावाट के लिए कितनी जमीन चाहिए यह भी संदेह की स्थिति है। यह पूरा मामला जमीन के खेल का है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के मुताबिक सरकार किसी निजी उद्योग के लिए जमीन नहीं दे सकती। तो राज्य सरकार उद्योग को कैसे भूमि देगी। कोयला 15 कि.मी. की दूरी से आयेगा। कंपनी कोयला लाती है तो 80 टन के डंफर चलेंगे। जहां से कोयला आयेगा उस डंफरों के चलने से प्रदूषण होगा उसका उल्लेख इआईए में नहीं किया गया है। यह वन भूमि है यहां के कृषि क्षेत्र की बात करें तो 600 मेगावाट पावर प्लांट के लिए 18 घन मीलियन लीटर पानी चाहिए। कलो नदी से 10 घनमीटर मिलियन पानी की अनुमति है। बाकी पानी कहां से आयेगा। कृषि क्षेत्र होने के नाते कंपनी के लिए 515 एकड़ जमीन ली जायेगी उसमें मात्र. 300 लोगोंको रोजगार मिलेगा। 300 के अलावा बाकी लोगों को कंपनी क्या करेगी? कंपनी ने सीएसआर में कंपनी ने क्या काम किया है यह सब लोग जानते हैं। सरकार इस कंपनी को अनुमति देने से पहले केंद्रीय पर्यावरण टीम यहां भेजें। तभी इस कंपनी को अनुमति प्रदान की जाये। बिना किसी अध्ययन के नहीं। कंपनी का आज की परिस्थिति में विरोध करता हूँ।

116. सावित्री साहू, पड़ीगांव – समर्थन।
117. जमुना साहू, पड़ीगांव – पड़ीगांव के सभी बेरोजगारों को काम दिया जाये।
118. गीता साहू, पड़ीगांव – समर्थन।
119. ललिता साहू, पड़ीगांव – समर्थन।
120. गोपनीन साहू, पड़ीगांव – समर्थन।
121. सुरेन्द्र नाथ सिंह, रायगढ़ – समर्थन।
122. रमेश कुमार अग्रवाल, जनचेतना, रायगढ़ – सवाल प्रक्रिया से संबंधित है। इस प्रोजेक्ट के लिए जनसुनवाई 17 जून 2011 को रखी गई थी। कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा हमारे कंसल्टेंट नहीं आये हैं कहकर जन सुनवाई को स्थगित कर दिय गया । क्या ऐसा किया जा सकता है? हमारी बातों को कभी ध्यान नहीं दिया जाता। उद्योग प्रतिनिधि बोलता है तो उसकी बातों को ध्यान दिया जाता है। जन सुनवाई को स्थगति करना नोटिफिकेशन के प्रावधानों के विपरीत है। जब तक इमरजेंसी स्थिति निर्मित नहीं हेाती तब तक जन सुनवाई स्थगति नहीं की जा सकती। जो गलत है। हम जन सुनवाई कराने के लिए तैंयार हैं तो प्रशासन जन सुनवाई प्रांरभ कर देता है। होगा वही जो उद्योगपति चाहेंगे। जन सुनवाई स्थगित की जाने की सूचना उन सब समाचार पत्रों में विधिवत दी जानी चाहिए। आपने मात्र प्रेस विज्ञप्ति कर दी गई। द्वितीय समय एवं स्थान निर्धारित करने का अधिकार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी का होता है। दुबारा लोक सुनवाई की अनुमति भी सदस्य सचिव से नहीं ली गई। लगता है कि हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है। ईआईए रिपोर्ट में हमे शंकाये होती है। यह जो प्लांट का प्रपोजल प्रीमेच्योर है। मिनिस्ट्री ऑफ इंन्वायरमेंट ऑफ फॉरेस्ट ने कहा कि कोल लिंकेज जिसके पास नहीं होगा उस पर मंत्रालय विचार नहीं करेगा। ईंधन की जो आवश्यकता बताई गई है वह 30 प्रतिशत मिंडलिंग्स पावर प्लांट के लिए ली जायेगी। जबकी उनका कोयला सिलतरा स्थित प्लांट में जायेगा। आपत्ति को नोट किया जाये। एसपी साहब ने मुझे 5 मिनट को समय बोलने के लिए दिया है। 15 मिनट बोलने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। बाकी का 70 प्रतिशत कोयला कहां से आयेगा। अभी तक कोल लिंकेज इनके पास

नहीं है। उनका केप्टिव कोल माईंस हैं वहां का कोयला का उपयेाग यहां नहीं किया जा सकता। कोल मंत्रालय को इन्होनें आवेदन किया है या नहीं इसका कोई पता नहीं है। कोयला किस साधन आयेगा इसका असेसमेंट हम नहीं कर सकते। 1 मिलियन टन कोयला कोल वाशरी से आयेगा। 2.94 मिलियन टन कोयला पावर प्लांट के लिए कहां से आयेगा। कोयला है नहीं। पानी है नहीं। क्या कंपनी ने पानी के लिए आवेदन किया है उसका स्टेटस क्या है? केलो नदी से पानी लिया जायेगा। कोयला डेम पर प्रभाव पड़ेगा। क्या डेम के लिए सफीसियेंट पानी मिलेगा। डेम का औचित्य समाप्त हो जायेगा। यह क्षेत्र पावर प्लांट लगाने के लिए उपयुक्त नहीं है। यह क्षेत्र चारों तरफ से वनों से आच्छादित है। 10 कि.मी के रेडियस में कई पावर प्लांट ऑपरेशनल है। रेडियो एक्टीविटी का प्रभाव पावर प्लांट के अध्ययन में पाया गया है। परंतु इसका उल्लेख इआईए में नहीं किया गया है। जन सुनवाई नियमों के विपरीत है। मैं विरोध करता हूॅं।

123. फुलेश्वरी, पड़ीगांव– समर्थन।
124. पवित्रा, पड़ीगांव – समर्थन।
125. सखबती, पड़ीगांव – समर्थन।
126. लक्ष्मी, पड़ीगांव – समर्थन।
127. रजनी साहू, पड़ीगांव – समर्थन।
128. सुंदर मती, पड़ीगांव – समर्थन।
129. उषा साहू, पड़ीगांव – समर्थन।
130. यशोदा , हमीरपुर – समर्थन।
131. सुशीला, हमीरपुर – समर्थन।
132. कमला, हमीरपुर – समर्थन।
133. उमेश मिश्रा, रायगढ़ – यहां का वातावरण खराब न करें। फैक्टी कहीं और लगाये। विरोध है।
134. बंटी शर्मा, भाजपा, रायगढ़ – कंपनी का विरोध।
135. टिकेश्वर प्रधान, हमीरपुर – समर्थन। यहां हमारे पास रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। हमारा घर कैसे चलता है हम जानते हैं। धरमजयगढ़ क्षेत्र में हाथी से मुखिया मारा जाता है उनके यहां कमाने वाले उनके पास कोई नहीं है। उनके बच्चों के बारे में कोई ध्यान नहीं देते हैं। पर्यावरण प्रदूषण सिर्फ कंपनी से नहीं होती। हमीरपुर वालों को आपत्ति नहीं है तो उनको क्यों है। आज हम अपने भविष्य को लेकर संगठित है तो टांग क्यों अड़ाया जा रहा है। यदि यहां कंपनी खुल जायेगी तो दो घंटे हमे ओ.टी मिलेगी। हमको फायदा होगा। मैं पुरे युवाओं की तरफ से कंपनी का समर्थन करता हूॅं।
136. शंकर गुप्ता, जोबरो – जमीन जा रही है। महुआ, आम पेड़ जा रहा है। उसका भी मुआवजा मिलना चाहिए। हम समर्थन करते हैं।
137. हरीराम गुप्ता, हमीरपुर – रोजी रोटी की आवश्यकता को देखते हुए, विकास को देखते हुए समर्थन।
138. दीपक कुमार सोनी, हमीरपुर – हम पड़े लिखे हैं हमे काम चाहिए। हम कंपनी को समर्थन देते हैं।
139. लक्ष्मण कुमार झरिया, पालीघाट – 20 साल पहले हमारे गांव में लाईट नहीं है। यहा प्रस्तावित प्लांट है उसके तहत् पावर की उत्पादन होगी यह सौभाग्य की बात

है। यहा के लोगों की आमदनी का जरिया सिर्फ लकड़ी बेचा था। उद्योग के आने से हमारे आय के साधन में वृद्धि कर सकते हैं। यहां के पढ़े लिखे लोगों को रोजगार मिलेगा। एजुकेटेड बेरोजकारों को तकनीकी संस्थानों में प्रशिक्षण की व्यवस्था कंपनी की ओर से की जाये। 10वीं 12 वीं में अच्छे परसेंट वाले बेटा बेटी को उस इंस्टीट्यूट में दाखिला दिलाकर पढ़ाई के लिए इंस्पॉसर किया जाये। अंग्रेजी मीडियम का स्कूल 12 तक खोला जाये। हमे आगे बढ़ने का अधिकार है। विरोध का स्वर बिल्कुल बेकार है। न रोड बना, न स्वास्थ्य सुविधा मिल पाई। सर्व सुविधायुक्त अस्पताल इस क्षेत्र में खोला जाये। निःशुल्क इलाज किया जाये। हम आपका भरपूर सहयोग करेंगे।

140. राजकुमार डनसेना, तमनार – उद्योग लगने से पहले कंपनी यह कहती हैं कि आपके क्षेत्र में अस्पताल खोल देंगे , स्कूल खोल देंगे। आप हमारा समर्थन करो। जब इनका काम हो जाता है तो ये लोग अपना वादा भूल जाते हैं। स्थानीय लोगों को रोजगार दिया। प्रभावित लोगों को रोजगार दिया जाये। प्रभावित क्षेत्र. के लोगों को रोजगार दिया जाये। लेकिन बाहरी लोगों को रोजगार की बात नहीं की गई है। लेकिन यहां उल्टा कार्य किया जाता है। स्थानीय लोगों को कम वेतन पर रोजगार दिया जाता है। आज तक हम लोगों को रोजगार नहीं मिला है। हमको रोजगार नहीं दिया जाता है तो रोजगार गांरटी के तहत हमको घर बैठे वेतन दिया जाये। हमारा शोषण हो रहा है। परियोजना के लाभ से विकास कार्य होने का नियम है। लाभाश का 3 प्रतिशत विकास कार्य में खर्च करने का प्रावधान हैं। विकास कार्य नाम मात्र का करते हैं। मात्र काम होने को ढिंढोरा पीटा जाता है। यदि सही तरह से विकास कार्य को खर्च किया जाये तो क्षेत्र का कायाकल्प हो सकता है। मेरा निवेदन है कि इस क्षेत्र में उद्योग लगता है तो स्थानीय लोगों के परिवहन को उद्योग में संलग्न किया जाये। बाहर के लोगों के परिवहन को उद्योग में लगाया जाता है। स्थानीय क्षेत्र में जो भी वाहन हो उसे पहले कंपनी में संलग्न करें। एक बार और रोजगार मेला लगाया जाये और बेरोजगारों को रोजगार दिलाया जाये। जिस गांव में उद्योग लगेगा वहां के लोगों को प्रशिक्षण देकर रोजगार देना होगा। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। गांव वाले उद्योग से प्रभावित हो जाते हैं बाद में उद्योग वाले उन्हें गुमराह करते हैं। गांव वालों की जमीन दलाल लगाकर हड़प लिया जाता है और नौकरी के लिए हजारों बार दौड़ाया जाता है। सरकारी नौकरी से कई गुना फारमेल्टी प्राईवेट नौकरी के लिए की जाती है। छ.ग. के लोगों को नौकरी ही दी जाये बाहरी लोगों को नौकरी नहीं दी जाये। लोगों केा स्वच्छ हवा पानी मिले इसके लिए फलदार वृक्ष लगाये जो। तालाब बनाया जाये। कंपनी वाले वृक्षारोपण नहीं करते। प्रभावित ग्रामों के किसानों को वृक्ष पट्टा प्रदान किया जाये।

141. उदय कुमार खंडेल, पालीघाट – समर्थन।

142. विरेन्द्र कुमार पटनायक, तमनार – इस क्षेत्र में बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी जैसी समस्याएं हैं। वहां निको जायसवाल विकास करें। मजदूरों का ध्यान रखें। समर्थन।

143. नानबती, गौड़बहरी – काम बुता धंध मिल जाये। मैं अनाथ हूॅं। समर्थन।

144. शांति गौड़बहरी – समर्थन।

145. हराबती, गौड़बहरी – समर्थन।

146. लखपती, गौड़बहरी – समर्थन।

147. जयमती, गौड़बहरी – समर्थन।

148. बालकुमारी , गौड़बहरी– समर्थन।
149. सावित्री, गौड़बहरी– समर्थन।
150. सुकुन बाई, गौड़बहरी –
151. अजय दास वैष्णव, तमनार – हार्दिक दिल से समर्थन।
152. सजंय पटनायक, गोड़ी तमनार – समर्थन।
153. अविनाश कुमार, तमनार – समर्थन।
154. भगत राम खंडेल, तमनार – समर्थन।
155. सुरेंद्र साहू, पड़ीगांव – समर्थन।
156. त्रिलोचन साहू, पड़ीगांव – समर्थन।
157. अनुज गुप्ता, तमनार – समर्थन।
158. राजा गुप्ता, तमनार – समर्थन।
159. विकास कुमार गुप्ता, तमनार – समर्थन।
160. मोहित राम सिदार, पंच गौड़बहरी– पूरा पूरा समर्थन है। हमारा गौड़बहरी स्वतंत्र हुए चौथा साल हुआ है। हमारा क्षेत्र कारखाना के पड़ोस में है। कंपनी से चाहता हूॅ कि हमारे गौड़बहरी को सड़क पानी, बिजली, हमारे विकास के लिए ध्यान दें। हम आदिवासी हैं। इस कंपनी में जो भी आदिवासी जमीन जाता है इससे हमारा बहुत नुकसान होता है। इससे दूसरे लोग फायदा उठा लेते हैं। कंपनी के आने से हमे उम्मीद है हमारा चौमुखी विकास होगा। शिक्षा, समाज कल्याण के तरफ से हम बहुत पिछड़े हुए हैं। हमे काम दिया जाये। हमे मालिकाना हक दिया जाये। हम आदिवासी की जो जमीन जाती है उस पर हमारा हक होना चाहिए। कंपनी के हिस्से में उनका भी हिस्सा होना चाहिए। कंपनी की तरफ से कमरा दिया जाये।
161. दीवाकर बारीक, हमीरपुर – समर्थन।
162. सुरेंद्र कुमार साव, तमनार – समर्थन।
163. विनीत कुमार पटनायक, तमनार – समर्थन।
164. आकाश कुमार गुप्ता– तमनार– समर्थन।
165. परमेश्वर साहू, पडीगांव – समर्थन।
166. राधेश्याम प्रधान, हमीरपुर – समर्थन। एक पट्टे में कई नाम है। सामूहिक पट्टा है। उस पट्टे में जितने भी है उन सभी को कंपनी में नौकरी दी जाये। जितनी जमीन कंपनी में जा रही है और बची हुई जमीन में कंपनी हर तरफ बोर की व्यवस्था करें ताकि हम कृषि का भी उपार्जन कर सके। जितने भी आश्रित ग्राम है उसे भी कंपनी गोद ले ले। कंपनी का तहे दिल से समर्थन करता हूॅ।
167. धरमचंद बारीक, भगोरा – कंपनी के तरफ से बेरोजगारों को रोजगार दिया जाये। समर्थन।
168. नरेन्द्र ,हमीरपुर – हमारे गांव के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिया जाये।
169. अमित गुप्ता, तमनार – समर्थन।

170. संजय, गोड़ी – समर्थन।
171. सुदामा पटेल , गोड़ी– समर्थन।
172. जेमा, हमीरपुर – समर्थन।
173. शंकुतला , हमीरपुर – समर्थन।
174. दिव्या, हमीरपुर – समर्थन।
175. बिमला, हमीरपुर – समर्थन।
176. हेमा, हमीरपुर – समर्थन।
177. सुमित्रा , हमीरपुर – समर्थन।
178. अहिल्या, हमीरपुर – समर्थन।
179. ओमिका, हमीरपुर – समर्थन।
180. उषा कर्मागढ़ – समर्थन।
181. आशीष बेहरा, तमनार – समर्थन।
182. अनुज कुमार पटेल, गोड़ी – समर्थन।
183. सरेाज कुमार गुप्ता, तमनार – समर्थन।
184. बबलू गुप्ता, अमलीगोड़ा – समर्थन।
185. जीतू गुप्ता, अमली डोंड़ा – समर्थन।
186. केशव यादव, तमनार – समर्थन।
187. नवीन प्रसाद, बेलपहाड़, उड़ीसा – कंपनी वाले बेलपहाड़ जाकर बताया कि लिलेंद्री की जमीन जा रही है जो कि लिलेंद्र मेरा भाई है। उस जमीन का सही अधिकार लिलेंद्र प्रसाद है। कंपनी के अधिकारी जमीन को देखकर जमीन खरीदें। गलत जमीन न खरीदें सही जमीन खरीदें।
188. फकीर, तमनार – समर्थन।
189. राजेश प्रधान, हमीरपुर – समर्थन। मेरे गांव के बेरोजगारों का`रोजगार मिले। मैं इसी कंपनी में 5 बार बायोडाट दे चुका हूॅ । 50 बार मिल चुका हूॅ। लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिली।
190. युवराज गुप्ता, हमीरपुर – समर्थन।
191. फणीन्द्र नायक, हमीरपुर – गांव का विकास होगा, जिले का विकास होगा जिले के विकास से छ.ग. का विकास होगा। समर्थन।
192. अभिषेक मिश्रा, हमीरपुर – समर्थन।
193. सुरेश कुमार बारीक, हमीरपुर – विरोध।
194. जयराम गुप्ता, हमीरपुर – समर्थन।
195. कृष्णा राठिया, जोबरो – समर्थन।
196. मुकेश कुमार गुप्ता, जोबरो – समर्थन। कंपनी स्थानीय लोगों के हित में काम करें। बेरोजगारों को स्थायी नौकरी प्रदान करें।
197. नंदलाल सिदार, जांजगीर – समर्थन।
198. इंदिरा, हमीरपुर – समर्थन।
199. कमला, हमीरपुर – समर्थन।
200. किरण, हमीरपुर – समर्थन।

201. गौरी, हमीरपुर – समर्थन।
202. जमुना बाई, हमीरपुर – समर्थन।
203. पुष्पलता मेहर, हमीरपुर – समर्थन।
204. लक्ष्मीबाई, हमीरपुर – समर्थन।
205. शांति बाई, हमीरपुर – समर्थन।
206. कन्हैयालाल पटेल, जांजगीर – समर्थन।
207. हलधर गुप्ता, जोबरो – समर्थन।
208. दिनदयाल सिदार, जोबरो – समर्थन।
209. गोकुल नंद बारीक, हमीरपुर – समर्थन।
210. हितेश्वर गुप्ता , जोबरो – समर्थन।
211. नित्यानंद गुप्ता, जोबरो – समर्थन।
212. मुकुंद साव, जोबरो – समर्थन।
213. डिग्रीलाल गुप्ता, जोबरो – समर्थन।
214. भुवन कुमार गुप्ता, जोबरो – समर्थन।
215. प्रदीप कुमार गुप्ता, जोबरो – समर्थन।
216. गौरांगो गुप्ता, जोबरो – समर्थन।
217. संतोष कुमार, पाली – समर्थन।
218. झोलाराम राठिया, जोबरो – समर्थन।
219. शौकीलाल राठिया, जोबरो– समर्थन।
220. निलांबर, पाली – समर्थन।
221. बलराम यादव, पाली – समर्थन।
222. शाहीद, पाली – समर्थन।
223. हरिहर खंडैल, पाली – समर्थन।
224. जयनारायण सिदार, पाली – समर्थन।
225. हीरा गुप्ता, हमीरपुर – समर्थन। ग्रेजुएट लड़कों को योग्यतानुसार नौकरी दी जाये।
226. उदय सोनी, हमीरपुर – समर्थन।
227. संजय कुमार गुप्ता, हमीरपुर – समर्थन। ठेकेदारी न की जाये। जो भी काम हेा वह कंपनी के माध्यम से हो।
228. मुकेश कुमार सोनी, हमीरपुर – समर्थन।
229. भागीरथी नायक, गौड़बहरी – समर्थन।
230. चैतन सिदार, गौड़बहरी – समर्थन।
231. ललीत कुमार, गौड़बहरी – समर्थन।
232. हेमसागर, हमीरपुर – समर्थन।
233. राधेश्याम चौहान, गौड़बहरी – समर्थन। सभी योग्य व्यक्ति को रोजगार का अवसर मिले।
234. हेमलाल पटेल, गौड़बहरी – समर्थन।
235. भवानी शंकर, हमीरपुर – समर्थन।
236. लक्ष्मीकांत, गौड़बहरी – समर्थन।
237. मोतीलाल गुप्ता, हमीरपुर – समर्थन। यहां के बेरोजगारों को योग्यतानुसार काम दिया जाये।
238. बालिक, गौड़बहरी – समर्थन।

239. सुरेश कुमार सोनी, गौड़बहरी – समर्थन।
240. अमित कुमार खंडैल, हमीरपुर – समर्थन।
241. गोविंद राम चौहान, कर्मागढ़ – समर्थन।
242. दयाशंकर सोनी, हमीरपुर – समर्थन।
243. हृषिकेश गुप्ता, जोबरो – समर्थन। हमारे गांव के पढ़ लिखे लड़कों को रोजगार में प्राथमिकता दिया जाये।
244. अतुल सिंह, कर्मागढ़ –
245. दुलार सिंह, कर्मागढ़ – समर्थन।
246. घुरउ यादव, कर्मागढ़ – समर्थन।
247. नरसिंग भोला, जोबरो – मैं एक किसान हूँ। पेड़ पौधा बहुंत है। इन सबका मुआवजा मिलना चाहिए।
248. ईश्वर प्रसाद सिदार, कर्मागढ़ जोबरो सरपंच – किसानों की मांग के अनुसार कार्य करें। 19 सूत्रीय बिंदु पर ग्रामसभा में कलेक्टर महोदय से चर्चा हो चुकी है।
249. आनंद राम प्रधान, जोबरो – समर्थन।
250. खिलावन नायक, जोबरो – समर्थन।
251. धरमसिंह राठिया, जोबरो – समर्थन।
252. दुर्गाप्रसाद गुप्ता, जोबरो – समर्थन।
253. सावित्री यादव, हमीरपुर – समर्थन।
254. उद्धव चौधरी, हमीरपुर – समर्थन।
255. प्रेमानंद भोई, जोबरो – समर्थन। हमारे नौजवान साथियों को कंपनी में नौकरी दी जाये।
256. मिनकेतन बेहरा, जोबरो – समर्थन।
257. फकीर राठिया, पड़ीगांव – समर्थन।
258. सुरेन्द्र कुमार बारीक, हमीरपुर – समर्थन।
259. गिरीश सिदार, बिजना सरपंच – समर्थन।
260. वृंदावन बेहरा, बिजना – समर्थन।
261. वृंदासेवक गुप्ता, बिजना – बिजना से हमीरपुर जाने में 10 कि.मी. हैं शार्ट कट में 3 कि.मी. पड़ता है। इस रोड को बनाया जाये।
262. अजय बढ़ई, कर्मागढ़ – समर्थन।
263. प्रहलाद राठिया, जोबरो – समर्थन।
264. चुन्नीलाल प्रसाद राठिया, जोबरो – समर्थन।
265. कैलाश राठिया, जोबरो – समर्थन।
266. जयानंद राठिया, जोबरो – समर्थन।
267. धमेंद्र कुमार राठिया जोबरो – समर्थन।
268. लक्ष्मीकांत राठिया, जोबरो – समर्थन।
269. सरोज कुमार राठिया, जोबरो – समर्थन।
270. बिलछौ, जोबरो – समर्थन।
271. प्रकाश सिदार, कर्मागढ़ – समर्थन।
272. सुरेश कुमार बेहरा, कर्मागढ़ – समर्थन।
273. शिवलाल सिदार, कर्मागढ़ – समर्थन।
274. मधुसूदर गुप्ता, हमीरपुर – समर्थन।

275. रूद्रराम नायक , पड़ीगांव – समर्थन।
276. सार्थिक राम बारीक, हमीरपुर – समर्थन।
277. आनंद कुमार राठिय, जोबरो – समर्थन।
278. हरीशचंद्र, जोबरो – समर्थन।
279. घनश्याम , जोबरो – समर्थन।
280. फत्ते कुमार राठिया, जोबरो – समर्थन।
281. गजेन्द्र भोई, हमीरपुर – समर्थन।
282. ॠषभ चंद गुप्ता, कुसमेर – समर्थन।
283. रोहित कुमार पटेल, जोबरो – समर्थन।
284. रामलाल सिदार, पाली – समर्थन।
285. त्रिलोचन बारीक , हमीरपुर – समर्थन।
286. घुरूराम सारथी, भगोरा – समर्थन।
287. घासीराम सोनी, हमीरपुर – समर्थन।
288. फणीन्द्र प्रधान हमीरपुर – तहे दिल से समर्थन।
289. सुखसागर मरावी, तमनार – समर्थन।
290. रामचरण कुंभकार, तमनार – समर्थन।
291. राजेन्द्र, बिजना – समर्थन।
292. लक्ष्मण यादव, तमनार – समर्थन।
293. नरेश कुमार गुप्ता, कर्रापाली – समर्थन।
294. ललित खंडेल, हमीरपुर – समर्थन।
295. टिकेश्वर, तमनार – समर्थन।
296. तलित सिंह, गोड़ी – समर्थन।
297. हरीश कुमार गुप्ता, तमनार – समर्थन।
298. मोहन सिंह सिदार, गोड़ी – समर्थन। सबको रोजगार मिलेगा।
299. विक्रम सिंह यादव, उपसरपंच, आमगांव – समर्थन।
300. गिरजा शंकर पटेल, कसडोल – इस क्षेत्र के विकास के लिए राज्य के देश के विकास के लिए नये नये उद्योग की स्थापना आवश्यक हो गया है। कंपनी लगती है तो विकास होता है साथ ही साथ विनाश भी होता है। विनाश रोकने के लिए पर्यावरणीय जन सुनवाई की जाती है। पर्यावरण का विशेष ध्यान दिया जाये। यह क्षेत्र जंगली क्षेत्र है। यह क्षेत्र सपाट क्षेत्र नहीं बन जाये कंपनी इस ओर भी ध्यान दें। समस्त नियमों को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र की जनता का हित करें। सीएसआर के अंतर्गत गरीबों की ओर विशेष ध्यान रखें। इस क्षेत्र की जनता को जागरूक बनाये। समर्थन।
301. गोकुल लाल पटनायक, लिबरा – पर्यावरण की बात करें तेा हमारे क्षेत्र के लोग रोज पेड़ काटने जाता था। आज गरीब जी भर के हमारे क्षेत्र में प्रोग्रेसिव है। 19 बिंदुओं का मांग रखा गया। सारे बिंदुओं में पहल हुई। जिनकी जमीन 2 लाख में खरीदी गई थी उसकी डिफरेंस राशि 6 लाख रूपये उद्योग देने के लिए तैयार हुआ। समर्थन।
302. देवेन्द्र शर्मा, तमनार – आज कंपनी ने जो पहल की है वह बहुत अच्छी है। क्षेत्रीय बेरोजगारों को रोजगार मिले। आईटीआई में इन्हें प्रशिक्षण दिया जाये।
303. जागेश्वर बेहरा, बागबहरी – इस क्षेत्र में स्कूल शिक्षा, हॉस्पीटल और नौकरी का विशेष ध्यान दिया जाये। स्वागत करता हूं। बेरोजगारों को रोजगार दिया जाये।

304. धरमसिंह, हमीरपुर – समर्थन।
305. भगतराम राठिया पड़ीगांव – समर्थन।
306. मुन्नुराम बारीक, हमीरपुर – कंपनी का स्वागत करता हूँ।
307. पूरन, भट्टाचार, चौकीदार – पट्टा नहीं मिल रहा है। पट्टा दिलाया जाये।
308. वासुदेव प्रसाद साहू, कसडोल – समर्थन।
309. रामकुमार प्रधान, धौराभाठा – हमारी जो जमीन जा रही है। सब उसका समर्थन कर रहे हैं। किसान के हित में मुआवजा मिलना चाहिए। धौराभांठा अंचल में आकर हमारी परिस्थिति को देखिये। दलाल सब पैसा खा गये। हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। हमारे जमीन का वेल्येशन है उसका चार गुना मुआवजा किसान को देना चाहिए। 1 एकड़ जमीन में जमीन पट्टाधारी को 2000 रू. प्रतिमाह मुआवजा मिलना चाहिए। जमीन का सही रकम मिले। इस आवाज को हम दिल्ली तक भेजेंगे। ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिले। सही बात को उठाया जाये 80 प्रतिशत लोगों की सहमति से उद्योग लगाया जाये । इस बात को दिल्ली तक उठाउंगा। बिना ग्रामवासी की सहमति से न खोला जाये।

लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण क्षेत्रीय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी द्वारा पढ़कर सुनाया गया।

लोक सुनवाई के दौरान जनता द्वारा उठाये गये मुद्दों के संबंध में उद्योग प्रतिनिधि श्री एस.के. मोहित्रा, अध्यक्ष ने बताया कि जमीन हम शासन द्वारा निर्धारित दर से क्रय करेंगे। इसके पहले कंपनी जो भी जमीन खरीदी है उसका मुआवजा की अंतर राशि भी सभी लोगों को मिलेगा। गांव की जनसंख्या 1500 से कम होने पर कनवर्सन की अनुमति नहीं होती। यह कानून द्वारा निर्धारित प्रावधान है। उस नियमों को पालन करते हुए भी हम कार्य करेंगे। उल्लंघन की कोशिश नहीं करेंगे। प्रभावित ग्राम जो इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं उन सभी के लिए हमारे द्वारा पूर्ण सुविधायुक्त चिकित्सालय का निर्माण किया जायेगा, जिसमें निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं दी जायेगी। शिक्षा के लिए स्कूल खोली जायेगी। वर्तमान में शासन का स्कूल है उन स्कूलों में 2 कमरों का निर्माण करायेंगे एक कमरे में अंग्रेजी शिक्षा का प्रावधान करेंगे। हमारे तरफ से जमीन खरीदी में कोई गलतियां नहीं हुई है। जमीन की पूरी जांच पड़ताल करने के पश्चात दो गवाहों के समक्ष खरीदा गया है। कोल लिंकेज के लिए हमने जो प्रस्ताव दिया है वह इस प्रकार है। हमारे द्वारा 3 मिलियन टन कोयले का प्रोडक्शन किया जा रहा है उसमें 60 प्रतिशत मिडलिंग्स के रूप में होगा और 40 प्रतिशत क्लीन कोल होता है। मिडलिंग का उपयोग थर्मल पावर प्लांट में किया जायेगा। उसका नेचर ई, एफ, और जी ग्रेड का होता है। हमें लिंकेज में जो कोल मिलेगा वह भी इसी नेचर का होगा। हमको महानदी कोल फिल्ड से लिकेंज मिलेगा। दो कोल ब्लॉक है। मुझे 18 एमसीएम पानी चाहिए और आज मुझे 10 एमसीएम पानी की अनुमति है। पानी के लिए 480 एकड़ जमीन लेनी है जिसमें 125 एकड़ जमीन में वाटर रिजर्वायर की व्यवस्था की जायेगी। इसमें रेन वाटर को होल्ड करेंगे। बरसात गुजरने के बाद इस रिजर्ववायर में 4 एमसीएम का पानी एकत्रित हो जायेगा। हम पानी के लिए सक्षम रहेंगे। 150 करोड़ की लागत से इस वाटर रिजर्ववायर का निर्माण किया जायेगा। नौकरी देना हमारी भी जरूरत है। बाहर से हम आदमी नहीं लायेंगे। गांव के लोगों को ही नौकरी दी जायेगी। जिनकी जमीन नहीं आ रही उन्हें भी रोजगार दिया जायेगा। पहली प्राथमिकता जिनकी जमीन जा रही है उनको नौकरी में प्राथमिकता दी जायेगी। हमीरपुर, जोबरो तथा आसपास के गांव के लोगों को नौकरी दी

जायेगी। लोगों के चरित्र का सत्यापन किया जायेगा। पुलिस वेरीफिकेशन कराया जायेगा। उसके पश्चात् ही नौकरी दी जायेगी। ट्राइबल की जमीन ग्रामसभा से पारित होने के पश्चात ही एक्वायर करेंगे। राखड़ जो उत्पन्न होगा वह हमारे माईंस भराव में उपयोग किया जायेगा। डॉ. जे.के. मोहित्रा पर्यावरण सलाहकार ने तकनीकी बिंदुओं पर जानकारी देते हुए कहा कि भारत सरकार के गाईड लाईन में कितनी जमीन में कितनी क्षमता का प्लांट लगाया जा सकता है इसके बारे में बताया गया है। जैसे प्लांट की क्षमता बढ़ती जाती है जमीन की मांग कम होती जाती है। यह हाथी प्रभावित क्षेत्र है किंतु एलीफेंट कॉरीडोर नहीं हैं। वन विभाग से इसकी जानकारी ली गई है। 33 प्रतिशत क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट डेवलप करना होता है। उसके तहत ग्रीन बेल्ट डेवलप प्लान हम ईआईए में दिये हैं। भूजल का उपयोग हम नहीं करेंगें। हम परमीशन के आधार पर थोड़े दिन के लिए उपयोग कर सकते है। लेकिन प्रोजेक्ट कार्य के लिए नहीं। रेडियो एक्टिविटी की मात्रा मानक के भीतर पाई गई है। उड़ीसा हिमगिर तहसील सुंदरगढ़ जिला के बारे में हमने ईआईए में बताया है। हम प्लांट के अंदर 180 एकड़ जमीन पर एश पॉड बनायेंगे। वहां एश को 4 साल तक रखेंगे और और उसका 100 प्रतिशत उपयोग करेंगे। 80 टन भार क्षमता का डंफर से माईन से कोयला लाया जायेगा। सीएसआर के अंतर्गत इस रोड को हम 80 टन के डंफर के लायक बनायेंगे। ये डंफर गांव के किनारे से निकाला जायेगा। ईएसपी की दक्षता 99.9 प्रतिशत होगी। ईएसपी की डिजाईन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम होगा। ओपन लैंड 20 प्रतिशत है। उद्योग से पानी निकलेगा उसके लिए कूलिंग टॉवर लगायेंगे, जिससे पानी की खपत कम होगी। डीएम प्लांट के पानी को न्यूट्रलाईजेशन टैंक में लायेंगे। इसका पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए 25 से 50 मीटर हरित पट्टी का विकास करेंगे एवं टरबाईन को बिल्डिंग में रखेंगे, जिससे ध्वनि प्रदूषण सीमा से बाहर नहीं होगा। लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त बिंदुओं पर बिंदुवार अपना पक्ष रखते हुए जानकारी दी गई।

सुनवाई के दौरान कई लोगों द्वारा लिखित अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया गया। संपूर्ण लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी की गई ।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा सायं 6.15 बजे उपस्थित लोगों के सुझाव, आपत्ति, टीका–टिप्पणी पर कंपनी प्रतिनिधि की ओर से जवाब आने के पश्चात् लोक सुनवाई के समाप्ति की घोषणा की गई।

(जे. लकड़ा)
क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़

(एस. के. शर्मा)
अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)